

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,

बिहार पटना।

आदेश

सं० सं०-4/विधि-08-138/2018

1249(4)

पटना, दिनांक 15/10/18

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के आदेश ज्ञापांक-1184(4) दिनांक-29.09.2018 के क्रमांक 182 के कॉलम 02 में उल्लेखित कर्मी श्री बबन प्रसाद सिंह, फार्मासिस्ट, अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, मनोहरपुर, राजपुर, बक्सर की सेवा अवधि 01 वर्ष से कम होने के कारण इस स्थानांतरण को एतद द्वारा रद्द किया जाता है।

15/10/18

(डॉ० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

*Email*

ज्ञापांक-4/विधि-08-138/2018 1249(4) /स्वा०, पटना, दिनांक-15/10/18

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन) के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-श्री ललित किशोर, विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-8632 दिनांक-13.09.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सिविल सर्जन, बक्सर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, मनोहरपुर, राजपुर, बक्सर तथा अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मधेपुरा एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री बबन प्रसाद सिंह, फार्मासिस्ट, अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, मनोहरपुर, राजपुर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/10/18

निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

17